न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 1768–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–02–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण कमांक 06/स्व. निगरानी/2011–12.

.....

1–श्रीमती ग्यासीबाई पत्नी स्व.हल्कूराम लोधा
निवासी ग्राम महूगढ तहसील व जिला गुना
2–लठूर पुत्र स्व.हल्कूराम लोधा
3–किशना पुत्र हल्कूराम लोधा
4–मुंशीलाल पुत्र हल्कूराम लोधा
5–चतरू पुत्र हल्कूराम लोधा
6–गुडडू पुत्र हल्कूराम लोधा
निवासीगण ग्राम महूगढ़ा तहसील व जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– हरिओम पुत्र लक्ष्मीनारायण
3– योगेश शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण
4– भगवती बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासीगण ग्राम नजूल कालोनी गुना
5– लक्ष्मीनारायण पिता श्री गोकलदास
नजूल कालोनी जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री साकेत उदैनिया एवं रजनीश शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एच0के0अग्रवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/8/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 हरिओम, अनावेदक कमांक 3 योगेश एवं अनावेदक कमांक 4 भगवती निवासी नजूल कालोनी गुना की ओर से संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अनावेदक कमांक 2 व 3 के पिता एवं अनावेदक कमांक 4 के पति लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकलदास की ग्राम महूगढ़ा की भूमि सर्वे कमांक 45/1/3 रकबा 2.000 हेक्टर का पटटा प्रकरण कमांक 48/अ–19/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 25–7–84 से हुआ था । आवेदक कमांक 1 के पति तथा आवेदक कमांक 2 से 6 के पिता ने बगैर कलेक्टर की अनुमति के भूमि सर्वे कमांक 45/1/3 रकबा 2.000 हेक्टर में से 1.000 हेक्टर भूमि का विकय पत्र स्वयं के नाम दिनांक 26–4–86 को पंजीयत करा लिया तथा उक्त पंजीयन विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करा लिया । आवेदक कमांक 2 से 6 तक के पिता हल्कूराम की मृत्यु हो जाने से भूमि का नामान्तरण आवेदक कमांक 2 से 6 तक के नाम हो गया है । अनावेदक कमांक 2, 3 व 4 द्वारा उपरोक्त संपादित पंजीयन विकय पत्र दिनांक 26–4–86 बगैर कलेक्टर की अनुमति के संपादित है । उक्त पंजीयन विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण के नाम पटवारी कागजात में दर्ज नामान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है । जिस पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–12 से अंतरण के संबंध में शासन नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जॉच करते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी के लिये अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के आदेश दिये गये । कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–12 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहीयों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा

सकता है भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो, परन्तु अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय ने अपने स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग वर्ष 2006 से जानकारी होने के अत्यधिक विलम्ब से किया है जो अनुचित है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने में अवैधानिक अथवा अनियमित कार्यवाही की गई है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–12 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये एवं राजस्व अभिलेख में इंद्राज दुरूस्ती किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान पेनल अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत् है जिसमें अवैधानिक अंतरण के संबंध में शासन नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जॉच कर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को लिखा है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्मतः से अवलोकन किया गया । प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि न्यायालय कलेक्टर के समक्ष हरिओम आदि द्वारा वर्ष 2006 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 297/अ–21/2006–07 पर दर्ज किया गया तत्पश्चात् दिनांक 06–02–2012 को उक्त प्रकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज किया गया, इससे यह स्पष्ट है कि यदि तर्क के लिये मान भी लिया जावे कि वर्तमान आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख संहिता की धारा 165(7 ख) में वर्णित दिशा निर्देशों के विपरीत विक्रय की गई थी तब भी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि न्यायालय कलेक्टर को उक्त तथ्य की जानकारी वर्श 2006 में हो गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में मान्य करने में 6 वर्ष का समय व्यतीत किया जो संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

प्रस्तुत न्यायदृष्टांत रनवीर सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन (आई.एल.आर.एम.पी.1)(पूर्ण न्यायपीठ निर्णय) का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की अवैधता एवं अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है । भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें लोकहित हो, के आधार पर तथा अन्य न्याय दृष्टांत देवीप्रसाद विरूद्ध नाके 1975 आर.एन.67, 1975 जेएलजे 155, 1990 एमपीजेआर 15 का भी अवलोकन किया गया । उक्त न्याय दृष्टांतों में वर्णित दिशा निर्देशों के प्रकाश में यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है तथा इस संबंध में कोई विवेचना प्रश्नाधीन आदेश में नहीं की है तथा न ही इस तथ्य पर कोई विचार किया है । इस कारण प्रश्नाधीन आदेश में वर्णित न्याय दृष्टांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थिति में लागू होना नहीं पाये जाये जाते है ।

6/ उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष एवं आदेश दिनांक 06–02–2012 अपास्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । तदानुसार राजस्व अभिलेख में इंद्राज दुरूस्ती की जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर